

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2013/ 251

दिनांक:- 26/5/14

समस्त


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान

विषय:- मलेरिया का कम्पलीट रेडिकल ट्रीटमेन्ट (CRT) आशा द्वारा दिए जाने पर रु 75/- इन्सेन्टिव दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में।  
संदर्भ:- भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक का पत्र क्रमांक D.O.NO.P17018/14/13-NRHM -IV दिनांक 03-01-2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार ने आशा द्वारा कम्पलीट रेडिकल ट्रीटमेन्ट दिए जाने पर (ब्लड स्लाइड से जांचे गए पीवी/पी.एफ केस एवं आर.डी.टी से पाये गये पोजिटिव पी.एफ केस ) इन्सेन्टिव रु 50/- से बढ़ा कर रु 75/- प्रति आर.टी कर दिया है। साथ ही ब्लड स्लाइड तैयार करने अथवा आर.डी.टी से जांच करने पर इन्सेन्टिव रु 5/- से बढ़ा कर रु 15/- कर दिया है।

पी.वी.(14 दिन) एवं पी.एफ.(03 दिन) आर.टी. पूर्ण होने के पश्चात् एवं ब्लड स्लाइड तैयार करने अथवा आर.डी.टी से जांच करने पर ए.एन.एम द्वारा आशा को इन्सेन्टिव के रूप में उपकेन्द्र/ प्रा.स्वा.केन्द्र/सा.स्वा.केन्द्र पर उपलब्ध अनटाईड फण्ड म स रु 75/-का भुगतान प्रति आर.टी दिए जाने एवं रु 15/- का भुगतान ब्लड स्लाइड तैयार करने अथवा आर.डी.टी से जांच करने पर दिए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है।


ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला जन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मलेरिया निरीक्षक , एल.एच.वी , ए.एन.एम जब भी भ्रमण पर जाए तो आर.टी का सुपरवीजन आवश्यक रूप से करेंगे।

  
निदेशक(जन. स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 26/5/14

क्रमांक : एफ.( )मले./निदे./2013/ 251  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निर्देशक, एन.आर.एच.एम, मुख्यालय।
3. परियोजना निर्देशक, एन.आर.एच.एम मुख्यालय।
4. एस.पी.एम, एन.आर.एच.एम मुख्यालय।
5. कन्सलटेन्ट, आशा/वी.एच.सी, एन.आर.एच.एम मुख्यालय।
6. समस्त, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
7. कार्यालय प्रति।

  
निदेशक(जन. स्वा.)